38/2020 फारक / पुस्तक

दिनांक	आज्ञा पत्र	
8/5/24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली है / तलब किया जायें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 10.7.24 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।	
10.7.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट ने उप. होकर जाहिर किया कि वे अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील डिक्रीज में खारिज की जावे। इसे वकील अपीलांट के आदेश पर दर्ज कर लिया जावे कि वे अपील के प्रेम के खारिज करने पर सहमत हैं। अतः अब अपील को प्रेम के खारिज व इस न्यायालय का आदेश दिनांक 27.7.21 को अपास्त किया जाता है निर्णय में बदलाव सुनाया गया। पत्रावली के साथ शुरू होकर अन्त के उप होकर बाद तरतीब तामील दाखिल दफ्तर हो।	

अभिभाषी. मौजूदा अपील अपीलांट चलाना नहीं चाहता है इसलिये Not Pressके बारीक फरकार्ड जावे।
10/7/24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)